भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, **"समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ता"** पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, **"समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ता"** के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिक पणधारक णियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुटिप्प/ भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाश की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.–II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ईमेल - कर सकते हैं।

(एन. के. भगत)
डाइरेक्टर (हास्पिटल)
दूरभाष-011 : 23061334

नई दिल्ली
दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख , 2019

सा.का.नि. .... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ता के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ता (समूह 'ग') पद, भर्ती नियम, 2019 है।
   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ता	05* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रुपये)	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, (ii) किसी सरकारी संस्था या गैर-सरकारी संगठन या भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त निजी संस्थान से बहु-पुनर्वास कार्यकर्ता या समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ता का एक वर्ष का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। वांछनीय: किसी सरकारी संस्थान या पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन में विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, (ii) किसी सरकारी संस्था या गैर-सरकारी संगठन या भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त निजी संस्थान से बहु-पुनर्वास कार्यकर्ता या समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ता का एक वर्ष का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम। (iii) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के तहत पुनर्वास कार्मिक के रूप में पंजीकृत। वाछनीय: किसी सरकारी संस्थान या पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन में विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव।	विभागीय पुष्टि समिति : (i) अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष; (ii) भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास विभाग के अध्यक्ष, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य; (iii) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल के प्रभारी उपनिदेशक प्रशासन - सदस्य;	लागू नहीं होता।

फा. सं. ए.12018/14/2016-एमाएच II]

(जी.पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार